

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : सीआरओ/राआम/2019-20/144,

दिनांक : 16-09-2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल में ई-ऑक्शन के माध्यम से अधिशेष आवास/फ्लेट्स के निस्तारणार्थ आवास/फ्लेट्स हेतु प्राप्त बिड़स पर त्वरित निर्णय लिये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मण्डल के आदेश क्रमांक 164 दिनांक 21.08.2019 के बिन्दु संख्या 9 के जरिये आवासन आयुक्त एवम् नीलामी समिति को पूर्व में प्रदत्त बिड स्वीकृति का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त में निहित किया गया है, जिसकी स्वीकृति राजस्थान आवासन मण्डल की 238वीं बैठक दिनांक 30.08.2019 के बिन्दु संख्या 238.29 पर की जा चुकी है।

अतः उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

PS|TA|RE(HQ)|JDSA
16/9/19

१०
वित्तीय सलाहकार,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

१०८३९
१६०९१९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव—अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव—आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव—मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, रा.आ.म. जयपुर।
4. निजी सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. समर्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—————, रा.आ.म.,।
6. अति.मुख्य अभियन्ता (द्वितीय), राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. समर्त उप आवासन आयुक्त,—————, रा.आ.म., जयपुर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
10. समर्त आवासीय अभियन्ता, रा.आ.म., जयपुर—————
11. सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त—————, राजस्थान आवासन मण्डल,—————
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी,—————, राजस्थान आवासन मण्डल,—————
13. लेखाधिकारी, वृत्त—————, राजस्थान आवासन मण्डल,—————
14. रक्षित पत्रावली।

Mr. Thakur
मुख्य राजस्व अधिकारी